अनौपचारिक रूप से परामर्शित

# बिहार सरकार

## सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप सं0-18/प्र0सु0मि0-04-02/2017सा0................ / पटना-15, दिनांक-......................./

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में पदस्थापित नियमित पदाधिकारी/कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत गैर योजना मद में विभिन्न प्रकार के 20 (बीस) पदों का सृजन।**

आदेश– **स्वीकृत।**

(2) राज्य सरकार के संकल्प संख्या–7876, दिनांक–11.06.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को अपने संसाधनों से नयी योजना के रूप में आगे भी बनाये रखने के निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–17375, दिनांक– 17.12.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं Reforms Support Units (RSUs) के लिए पूर्व से स्वीकृत 15 पदों का जुलाई, 2014 से पाँच वर्षों के लिए अवधि विस्तार करते हुए अतिरिक्त 2811 पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2014–15 से पाँच वर्षों के लिए प्रदान किया गया है । उक्त अवधि विस्तार एवं पद सृजन का व्यय भार का वहन योजना मुख्य शीर्ष 2052 – सचिवालय सामान्य सेवायें द्वारा उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष 092 – अन्य कार्यक्रम – उप शीर्ष को 0122 – बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी (विपत्र कोड – P2052000920122 एवं मांग संख्या – 33) राज्य योजना Scheme Code – Gen – 5513 में उपबंधित राशि से विकलनीय होने का आदेश है। इन स्वीकृत पदों में संविदा एवं वाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने वाले पदों के साथ ही मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक, प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, निजी सहायक, निम्न वर्गीय लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक के पद भी शामिल है जो नियमित सरकारी सेवक होते हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में सरकार की अधिसूचना/आदेश के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में नियमित (स्थायी) पदाधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं तथा इन स्थायी कर्मियों (पदाधिकारी/कर्मचारी) के वेतनादि का भुगतान कोषागार से न होकर सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान से किया जाता है । इस व्यवस्था में ग्रूप बीमा, सामान्य भविष्य निधि की राशि को नियमित रूप से जमा करने सहित इसके सामंजन एवं लेखा संधारण में कठिनाई होती है। इन कर्मियों के वेतनादि की निकासी कोषागार से जुड़े नहीं रहने के कारण नियमित सरकारी कर्मियों को मिशन कार्यालय में पदस्थापन से पूर्व के किसी बकाया राशि के भुगतान में भी बाधायें आती हैं तथा सामान्य भविष्य निधि का अस्थायी अग्रिम निकासी सहित सेवांत लाभ प्रदान करने में तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है।

4. चूंकि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पूरे तौर पर राज्य सरकार के अनुदान पर चलने वाली संस्था है और यहां पदस्थापित किये गये नियमित पदाधिकारी/कर्मचारी भी राज्य सरकार के ही हैं, ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त होगा कि ऐसे नियमित पदाधिकारी/कर्मचारियों का पद सृजन एवं पदस्थापन पैतृक विभाग सामान्य प्रशासन विभाग में करते हुए उनकी सेवायें सोसाइटी में प्रदान की जाए ताकि ऐसे नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों में कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न नहीं हो।

5. दिनांक–09.03.2017 को मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष शासी परिषद की अध्यक्षता में आहूत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 18वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु संख्या–9 के रूप में दिये गये प्रस्ताव पर शासी परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्थायी (नियमित) सरकारी सेवकों की बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में सीधे पदस्थापन नहीं किया जाए । इसके लिए योजना मद में स्वीकृत मिशन सोसाइटी के अपर मिशन निदेशक, प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, निजी सहायक, निम्न वर्गीय लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक के पद के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गैर योजना मद में इनके समकक्ष पद सृजित

करने और इनका पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग में करते हुए उन्हें मिशन में उनके द्वारा धारित पदों पर प्रतिनियुक्ति करने की कार्रवाई किये जाने का अनुमोदन प्राप्त है ।

6. शासी परिषद के उपर्युक्त निर्णय तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों के सफल संचालन के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिए गैर योजना मद में अपुनरीक्षित वेतनमान में निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र. सं. | पदनाम | वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | प्रस्तावित पदों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5* | *6* |
| 1. | अपर मिशन निदेशक | ₹37400–67000 | ₹8900/ ₹10000 | 01 | विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी |
| 2. | प्रशासनिक पदाधिकारी | ₹15600–39100 | ₹5400 | 01 | बि.प्र.से. के मूल कोटि के पदाधिकारी |
| 3. | प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी | ₹15600–39100 | ₹5400 | 01 | बि.प्र.से. के मूल कोटि के पदाधिकारी |
| 4. | वित्त एवं लेखा पदाधिकारी | ₹15600–39100 | ₹5400 | 01 | बि.प्र.से. के मूल कोटि के पदाधिकारी |
| 5. | विशेष कार्य पदाधिकारी | ₹15600–39100 | ₹5400 | 02 | बि.प्र.से. के मूल कोटि के पदाधिकारी |
| 6. | प्रशाखा पदाधिकारी | ₹9300–34800 | ₹4800 | 02 | बिहार सचिवालय सेवा |
| 7. | सहायक (सचिवालय) | ₹9300–34800 | ₹4600 | 04 | बिहार सचिवालय सेवा |
| 8. | निजी सहायक | ₹5200–20800 | ₹2400 | 04 | (स. आशु संवर्ग) |
| 9. | निम्न वर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक | ₹5200–20800 | ₹1900/₹2400 | 04 | लिपिकीय संवर्ग |

7. उक्त सृजित पद के व्यय का भार वहन मांग संख्या–33 के तहत **गैर योजना** मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–0004–सामान्य प्रशासन विभाग, विपत्र कोड– 33-2052000900004 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–08.08.2017 के मद संख्या–24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–18/ प्र0सु0मि0–04–02/2017,सा0 10748 पटना 15, दिनांक– 22-8-17 /

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

22 Aug 17